फर्जी बैंक खाते उपलब्ध कराने वाले गिरोह का पर्दाफाश, तीन गिरफ्तार

क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई कर किया करोड़ों के संदिग्ध लेनदेन का खुलासा

पीपुल्स संवाददाता • इंदौर
मो.नं. 9926064287

शेयर ट्रेडिंग और निवेश के नाम पर लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले गिरोह पर क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई की है। पहले गिरफ्तार किए गए आरोपियों से पूछताछ और बैंक खातों की तकनीकी जांच के आधार पर पुलिस ने तीन युवकों को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया है कि आरोपी ठगी से जुटाए पैसे को ठिकाने लगाने बैंक खाते उपलब्ध कराते थे। पुलिस को बैंक खातों में करोड़ों रुपए के संदिग्ध लेनदेन के प्रमाण भी मिले हैं।

थाना परदेशीपुरा में शेयर ट्रेंडिग के नाम पर हुई ठगी के मामले में आरोपी पर प्रकरण दर्ज किया गया था। मामले की जांच के दौरान पूर्व में गिरफ्तार आरोपी जय सूर्यवंशी और जतिन हरियाले से पूछताछ, डिजिटल साक्ष्यों और बैंक खातों के विश्लेषण में गिरोह के अन्य सदस्यों की भूमिका सामने आई। इसी आधार पर पुलिस ने आकाश पिता राधेश्याम विश्वकर्मा निवासी प्रीमियम पार्क, अरबिंदो हॉस्पिटल के सामने, प्रवीण पिता छोटेलाल पाल निवासी शिवकंठ नगर, सांवेर रोड तथा आशीष पिता अशोक पुरी निवासी स्कीम नंबर-51, आईडीए बिल्डिंग, ब्लॉक-बी को गिरफ्तार किया है।

क्राइम ब्रांच द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपियों से जब्त मोबाइल और सिम।

कई राज्यों के फ्रॉड मामलों से जुड़े तार

जांच में सामने आया कि आरोपियों द्वारा उपलब्ध कराए गए बैंक खातों का इस्तेमाल देश के कई राज्यों में दर्ज ठगी के मामलों में किया गया है। बैंक खातों के विस्तृत विश्लेषण में करोड़ों रुपए के संदिग्ध लेनदेन का खुलासा हुआ है। पुलिस अब गिरोह के मास्टरमाइंड, बैंक खाते उपलब्ध कराने वाले अन्य सहयोगियों और ठगी के पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जुटी है। आरोपियों की संपत्ति संबंधी जानकारी भी जुटाई जा रही है। इसके लिए संबंधित नगर निगम से जानकारी मांगी गई है। पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान मिले तथ्यों के आधार पर आगे भी गिरफ्तारी की जाएगी।

15 मोबाइल, बैंक दस्तावेज और स्कॉर्पियो जब्त

गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से 15 मोबाइल, विभिन्न बैंकों की पासबुक, सिम कार्ड, बैंकिंग से जुड़े अहम दस्तावेज और स्कॉर्पियो कार जब्त की गई है। पुलिस इन दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जांच कर गिरोह से जुड़े अन्य लोगों और बैंक खातों की जानकारी जुटा रही है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे ठगी करने वाले गिरोह के संपर्क में थे। उनका काम अलग-अलग लोगों के नाम पर बैंक खाते खुलवाना, एटीएम कार्ड, चेकबुक, पासबुक व सिम गिरोह तक पहुंचाना था। इन्हीं खातों का इस्तेमाल शेयर ट्रेडिंग, निवेश और अन्य फ्रॉड से हासिल की गई रकम को जमा करने, एक खाते से दूसरे खाते में भेजने और आगे वितरित करने का काम किया जाता था।

होस्टल में चलने की बात पर पत्नी से मारपीट

इंदौर। शराबी पति ने मामूली विवाद के बाद पत्नी पर हमला कर दिया। सिधु नगर निवासी कंचन केसवानी ने शिकायत में बताया कि उसका पति सुनील सोमवार देर रात शराब पीकर घर आया और उसे तुरंत होस्टल चलने के लिए कहने लगा। पत्नी ने सुबह चलने की बात कही तो आरोपी ने गाली-गलौज करते हुए टिफिन उसके सिर पर दे मारा। हमले में महिला घायल हो गई। जूनी इंदौर पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

चंदन नगर में नोटरी पर बेच दिए प्लॉट

इंदौर। चंदन नगर पुलिस ने सरकारी जमीन पर कॉलोनी बसाने के मामले में अज्जू उर्फ अज्जू खान पर केस दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार, ग्राम सिरपुर की अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग के नाम दर्ज शासकीय भूमि को निजी जमीन बताकर आरोपी ने न्यू लक्ष्मी नगर नाम से प्लॉट काटकर नोटरी के माध्यम से बेचना शुरू कर दिया था। जांच में आरोपी के कुख्यात भू-माफिया जफर खान से जुड़े होने की जानकारी भी सामने आई है।

महिला ने पत्रकार वार्ता में सुनाई आपबीती, प्रशासन से लगाई न्याय की गुहार

साढ़े चार साल से बेटियों से मिलने को तरस रही मां, कोर्ट के आदेश भी नहीं हुए लागू

पति और ससुराल पक्ष पर प्रताड़ना, बच्चों से दूर रखने और हत्या के प्रयास के लगाए आरोप

पीपुल्स संवाददाता • इंदौर
मो.नं. 9981382813

पति से विवाद के बाद पिछले साढ़े चार वर्षों से अपनी दोनों बेटियों से अलग रह रही एक महिला ने सोमवार को इंदौर प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता कर न्याय की गुहार लगाई। विजय नगर निवासी मिनी सूद ने आरोप लगाया कि अदालत के स्पष्ट आदेश होने के बावजूद उन्हें अपनी बेटियों से न तो मिलने दिया जा रहा है और न ही नियमित रूप से बात करने दी जा रही है। उन्होंने कहा कि मार्च 2022 से उनकी बेटियां पृषा (15) और दिविना (9) उनसे दूर हैं।

मिनी सूद ने पत्रकार वार्ता में बताया कि बच्चों से मिलने के लिए उन्हें मुंबई, कोल्हापुर और इंदौर तक कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी। वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा की मदद से मामला सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से इंदौर स्थानांतरित हुआ, लेकिन इसके बावजूद स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ और अदालत के आदेशों का भी पालन नहीं किया जा रहा है।

प्रेस वार्ता में आपबीती सुनाती महिला।

उन्होंने बताया कि हाल ही में अदालत में दायर एक आवेदन से पता चला कि उनकी बड़ी बेटी का सड़क हादसे में पैर में फ्रैक्चर आया है। इसके बाद भी उन्हें बेटी से मिलने की अनुमति नहीं मिली। महिला का आरोप है कि बच्चों को उनसे दूर करने के लिए उन पर टोना-टोटका करने जैसे आरोप भी लगाए गए।

ससुराल पक्ष ने घर में तोड़फोड़ कर की निजता भंग

मिनी सूद ने अपने पति आदर्श सूद, जेठ समीर सूद और जेठानी हनी सूद पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि घरेलू हिंसा कानून के तहत अदालत से आवास संबंधी संरक्षण आदेश मिलने के बावजूद ससुराल पक्ष ने घर में तोड़फोड़ की। दरवाजे, खिड़कियां, टॉयलेट कमोड और बिजली के बोर्ड तक क्षतिग्रस्त कर दिए गए तथा गहने और कपड़े भी ले गए। इस कारण उन्हें फिलहाल हॉस्टल में रहना पड़ रहा है।

प्रशासन से सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग

महिला ने आरोप लगाया कि ससुराल पक्ष ने बेडरूम तक में सीसीटीवी कैमरे लगाकर उनकी निजता का उल्लंघन किया और अब उनकी हत्या का प्रयास भी किया जा रहा है। उन्होंने निरंजनपुर मंडी क्षेत्र की एक घटना का हवाला देते हुए प्रशासन से सुरक्षा उपलब्ध कराने, बेटियों से जल्द मिलवाने और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।

सड़क हादसे में ई-रिक्शा चालक की मौत

कनाड़िया में मासूम की मौत पर ठेकेदार के खिलाफ केस

पीपुल्स संवाददाता • इंदौर
मो.नं. 9926064287

शहर के बाणगंगा क्षेत्र में सड़क हादसे में घायल हुए ई-रिक्शा चालक की इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं, कनाड़िया इलाके में निर्माणाधीन मकान की खुली पानी की टंकी में डूबने से चार वर्षीय बच्चे ने दम तोड़ दिया।

बाणगंगा थाना पुलिस के अनुसार, 24 जुलाई की शाम बाणगंगा ब्रिज के पास 38 वर्षीय कपिल रमनवाल निवासी पंचम की फेल ई-रिक्शा चला रहे थे। इसी दौरान सामने से आए वाहन को बचाने के प्रयास में उनका ई-रिक्शा अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में कपिल के सिर, हाथ और पैर में गंभीर चोटें आई थीं। उन्हें तत्काल एमवाय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां कई दिनों तक इलाज चलने के बाद सोमवार देर रात उनकी मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, कपिल ई-रिक्शा चलाकर अपने परिवार का पालन-पोषण करते थे। परिवार में उनके माता-पिता, एक भाई और दो बच्चे हैं।

इधर, कनाड़िया थाना पुलिस ने चार वर्षीय रुद्र चौहान की मौत के मामले में निर्माण कार्य करा रहे ठेकेदार राजेश पवैया निवासी कुलकर्णी भट्टे के खिलाफ लापरवाही का प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस जांच में सामने आया कि 10 जुलाई को संपत हिल्स स्थित निर्माणाधीन मकान के पास बनी खुली पानी की टंकी में गिरने से रुद्र की मौत हो गई थी। बच्चे के पिता गोलू चौहान और अन्य परिजनों के बयान के आधार पर कार्रवाई की गई है। बताया गया कि घटना के समय गोलू काम पर गए हुए थे, जबकि उनकी पत्नी पूजा घर पर दोनों बेटों कार्तिक और रुद्र के साथ थीं। खेलते-खेलते रुद्र निर्माणाधीन मकान के पास पहुंच गया और खुली पानी की टंकी में गिर गया। कुछ देर बाद परिजनों ने उसे बाहर निकालकर तत्काल सेवाकुंज अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

पान की दुकान से डेढ़ लाख का माल चोरी

इंदौर। पुलिस की रात्रि गश्त को धता बताते हुए चोर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। रविवार-सोमवार की दरमियानी रात चोरों ने एमजी रोड स्थित पान दुकान पर धावा बोलकर वहां से डेढ़ लाख की सिगरेट और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। फरियादी केशर सिंह चौहान ने सेंट्रल कोतवाली पुलिस को बताया कि दुकान पहुंचने पर ताले टूटे मिले। अंदर रखे आईटीसी और मार्लबोरो कंपनी के 50 कार्टन सिगरेट, जिनकी कीमत लगभग डेढ़ लाख रुपए है और गल्ले में रखे पांच हजार रुपए नकद गायब थे। आरोपी पुलिस से बचने के लिए दुकान में लगा सीसीटीवी डीवीआर भी उखाड़कर ले गए। पुलिस आसपास के कैमरों की फुटेज खंगाल रही है।

‘नशे से दूरी है जरूरी’ अभियान में मालवांचल यूनिवर्सिटी एवं इंडेक्स समूह संस्थानों में कार्यक्रम आयोजित

पुलिस ने विद्यार्थियों को दिलाई नशामुक्त जीवन की शपथ

पीपुल्स संवाददाता • इंदौर
मो.नं. 9926064287

‘नशे से दूरी है जरूरी’ अभियान में पुलिस ने मालवांचल यूनिवर्सिटी एवं इंडेक्स समूह संस्थानों में जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए। सेमिनार, रैली, नुक्कड़ नाटक और पोस्टर प्रतियोगिता से विद्यार्थियों को नशे के दुष्परिणामों से अवगत कराया गया। स्वस्थ व सकारात्मक जीवनशैली अपनाने का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में इंडेक्स मेडिकल कॉलेज, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, लॉ, मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, डेंटल, नर्सिंग सहित विभिन्न संस्थानों के छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम में स्पेशल टास्क फोर्स की अधिकारी ममता कामले ने कहा कि नशा केवल किसी व्यक्ति का जीवन बर्बाद नहीं करता, बल्कि कई बार उसे अपराध की राह पर भी ले जाता है। उन्होंने कहा कि माता-पिता अपने बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के सपने देखते हैं, लेकिन नशे की लत उन सपनों को पलभर में तोड़ सकती है।

‘नशे से दूरी है जरूरी’ अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित लोग।

रैली, नुक्कड़ नाटक और पोस्टर प्रतियोगिता से दिया संदेश : इंडेक्स मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थियों ने परिसर में जागरूकता रैली निकालकर नशामुक्त समाज का संदेश दिया। वहीं नुक्कड़ नाटक के जरिए नशे की लत से होने वाले शारीरिक, मानसिक और सामाजिक नुकसान को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया। कॉलेज में ‘नशे से दूरी है जरूरी’ विषय पर पोस्टर प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें विद्यार्थियों ने अपनी रचनात्मक प्रस्तुतियों के माध्यम से जागरूकता का संदेश दिया।

बड़ी संख्या में शिक्षक और विद्यार्थी रहे मौजूद

कार्यक्रम में मालवांचल यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉ. संजीव नारंग सहित डॉ. प्राजक्ता तोमर, डॉ. सी.एल. यादव, डॉ. आर.सी. यादव, एच.एन. सिह, डॉ. रौसेया कनपर्ती, प्राचार्य डॉ. जावेद खान, डॉ. एस.के. निराला, धीरज जायसवाल, डॉ. अजय मिश्रा, एसटीएफ के ओम क्षीरसागर सहित बड़ी संख्या में शिक्षक, विशेषज्ञ और विद्यार्थी उपस्थित रहे।

निजी कॉलेज के छात्रों के दो गुटों में हुई खूनी झड़प

बेसबॉल बैट और पत्थरों से हमला, दोनों पक्षों ने दर्ज कराया केस

पीपुल्स संवाददाता • इंदौर
मो.नं. 9926064287

गांधी नगर थाना क्षेत्र स्थित निजी कॉलेज के छात्रों के दो गुटों के बीच पुराना विवाद एक बार फिर हिंसक झड़प में बदल गया। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर मारपीट, बेसबॉल बैट और पत्थरों से हमला करने के आरोप लगाए हैं। पुलिस ने दोनों की शिकायत पर क्रॉस एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

पुलिस के अनुसार, एनएमआईएमएस कॉलेज के प्रथम वर्ष के छात्र अक्षत कटारिया ने बताया कि वह कॉलेज के सामने स्थित चाय की दुकान पर खड़ा था। इसी दौरान कॉलेज के छात्र ऋषि भदवार और तनिष्क रघुवंशी वहां पहुंचे और पार्टी को लेकर विवाद करने लगे। अक्षत का आरोप है कि कहासुनी बढ़ने पर दोनों ने उसके साथ मारपीट की। बाद में पत्थरों से हमला कर घायल कर दिया। शोर सुनकर उसके साथी मौके पर पहुंचे, जिसके बाद बीच-बचाव हुआ।

दूसरे पक्ष का आरोप-बेसबॉल बैट लेकर पहुंचे छात्र: वहीं दूसरे पक्ष से छात्र पर्व देसाई ने बताया कि वह कॉलेज के बाहर कैफे में अपने दोस्तों के साथ बैठा था, तभी अक्षत कटारिया अपने साथियों दिव्यांश कुसुमाकर, अर्पित जाट, इशित गौर, आयुष मित्तल और कार्तिकेय कुसुमाकर के साथ वहां पहुंचा और ऋषि भदवार के बारे में पूछताछ करने लगा। पर्व का आरोप है कि जानकारी नहीं देने पर आरोपियों ने बेसबॉल बैट और पत्थरों से हमला कर दिया। हमले में उसे और ऋषि भदवार को चोटें आईं। घटना के दौरान वहां मौजूद अन्य छात्र जान बचाने के लिए इधर-उधर भाग गए।

बात बंद करने पर प्रेमिका को बाल पकड़कर पीटा

पीपुल्स संवाददाता • इंदौर
मो.नं. 9926064287

विवाद के चलते प्रेमिका को बात बंद करना महंगा पड़ गया। उसे प्रेमी ने बीच रोड पर रोका और बाल पकड़कर जमकर पीट दिया। यही नहीं, पेट पर लात मारी और जबरन बाइक पर बैठाने की कोशिश की। जैसे-तैसे प्रेमिका वहां से भागी और राऊ थाने में शिकायत दर्ज कराई।

पीड़िता ने बताया कि वह निजी कंपनी में नौकरी करती है। वह थाना क्षेत्र में रहने वाले शुभम को चार साल से जानती है। दोनों के बीच अच्छी दोस्ती थी, लेकिन शुभम की हरकतों के चलते उसने एक माह पहले बात करना बंद कर दिया। सोमवार को वह कंपनी जा रही थी, तभी रास्ते में शुभम पहुंचा और उसे पूछा कि वह बात क्यों नहीं करती। जब युवती आगे बढ़ने लगी तो आरोपी ने उसका हाथ पकड़ा और अपशब्द कहे। इसके बाद शुभम ने मारपीट की।

महिला से अश्लील हरकत- द्वारकापुरी पुलिस् ने बताया कि सोमवार को महिला अपने भाई के साथ पहुंची और बताया कि वह अपने घर की पार्किंग में अपने बच्चे को बोतल से दूध पिला रही थी, तभी सामने रहने वाला संतोष आया और अश्लील इशारे करने लगा। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

सांकेतिक कब्जे की सूचना

ICICI Bank | **शाखा कार्यालय :** आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, ऑफिस नंबर 201बी, दूसरी मंजिल, रोड नंबर 1, प्लॉट नंबर-बी3, वाईफाई आईटी पार्क, वागले इंडस्ट्रियल एस्टेट, ठाणे (पश्चिम)- 400604

आईसीआईसीआई बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिभूतिकरण, वित्तीय आस्तियों का पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 एवं प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 सहित पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे उल्लिखित कर्जदार(रों) को माँग सूचना निर्गमित की गई थी, उक्त सूचना में कहा गया था कि वे सूचना प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर सूचना में उल्लिखित राशि का भुगतान करें।

कर्जदार राशि चुकाने में विफल रहे हैं, अतएव कर्जदार और जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त अधिनियम 8 सहित पठित धारा 13(4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे उल्लिखित तिथियों पर नीचे वर्णित संपत्ति का अधोहस्ताक्षरदाता द्वारा सांकेतिक कब्जा ले लिया गया है। विशेष रूप से कर्जदार एवं जनसाधारण को संपत्ति के संव्यवहार नहीं करने हेतु सचेत किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी संव्यवहार आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा।

क्र. सं.	कर्जदार/ सह-कर्जदार का नाम/ ऋण खाता क्र.	संपत्ति का विवरण/ सांकेतिक कब्जे की तिथि	डिमांड नोटिस की तिथि/ डिमांड नोटिस में राशि (रु.)	शाखा का नाम
1.	श्रीमती वीणा जैन/ सृष्टि जैन/ 004105502302	यूनिट नंबर जी-02 ग्राउंड फ्लोर और यूनिट नंबर बी-2 बेसमेंट फ्लोर, खुतला मोहिते कॉम्प्लेक्स, म्यु. मकान नंबर 28 (नया नंबर 36) और म्यु. मकान नंबर 18 (नया नंबर 27), माणिक चौक (माणिक चौक गली), इंदौर, मध्यप्रदेश- 452002; मालिक: वीणा जैन/ जुलाई 24, 2026	अप्रैल 30, 2026 रु. 18,72,665.78/-	इंदौर
2.	दीपचद एंड संस/ आकाश चौधरी पिता स्वर्गीय अशोक चौधरी/ आशा चौधरी पति स्वर्गीय अशोक चौधरी/ डॉली चौधरी पति प्रफुल्ल चौधरी/ शालिनी चौधरी पति आकाश चौधरी/ 094905002547	मकान नंबर 319, 319/1, 319/2, परकोटा वार्ड सागर, तहसील एवं जिला सागर, मध्यप्रदेश, सागर/ जुलाई 25, 2026	मार्च 27, 2025 रु. 68,50,072.36/-	सागर

उपरोक्त कर्जदार(रों)/जमानतदार(रों) को राशि वापस करने के लिए 30 दिन का नोटिस जारी किया जाता है, अन्यथा बंधक रखी गई संपत्ति(याँ) प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 और 9 के प्रावधानों के अनुसार इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों के बाद नीलाम कर दी जाएगी।

दिनांक : जुलाई 29, 2026
स्थान : इंदौर

भवदीय, प्राधिकृत अधिकारी,
आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के लिए

प्रताप स्नैक्स लिमिटेड
Yellow Diamond
सीआईएन: L15311MP2009PLC021746
पंजीकृत और कॉर्पोरेट कार्यालय: खसरा नंबर 378/2, नेमावर रोड, मकरंद हाउस के पास, पालदा, इंदौर - 452020, मध्य प्रदेश, भारत **फोन:** (91 731) 243 7604/642; **फैक्स:** (91 731) 243 7605
ई-मेल: complianceofficer@yellowdiamond.in **वेबसाइट:** www.yellowdiamond.in

शेयरधारकों के लिए सूचना

कंपनी के इक्विटी शेयरों का निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष में स्थानांतरण

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ("एमसीए") द्वारा समय-समय पर अधिसूचित निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, लेखा परीक्षा, स्थानांतरण और वापसी) नियम, 2016 ("नियम") के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(6) और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, के प्रावधानों के अनुसार सदस्यों को सूचित किया जाता है कि सभी इक्विटी शेयर जिनके संबंध में वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए अंतिम लाभांश के भुगतान के बाद से (7) लगातार सात वर्षों तक लाभांश का भुगतान या दावा नहीं किया गया है, नियमों के अनुसार कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि ("आईईपीएफ") में स्थानांतरित किए जाने के लिए उत्तरदायी हैं।

कंपनी ने उन सभी संबंधित शेयरधारकों को व्यक्तिगत रूप से सूचना भेज दी है जिनके शेयर आईईपीएफ में स्थानांतरित किए जाने योग्य हैं। ऐसे शेयरधारकों का विवरण कंपनी की वेबसाइट www.yellowdiamond.in पर भी उपलब्ध करा दिया गया है।

भौतिक रूप में शेयर रखने वाले और जिनके शेयर आईईपीएफ में स्थानांतरित किए जाने योग्य हैं, कृपया ध्यान दें कि कंपनी उनके द्वारा धारित मूल शेयर प्रमाणपत्रों के बदले नए शेयर प्रमाणपत्र जारी करेगी, जिनका डीमैट रूप में रूपांतरण किया जाएगा और बाद में आईईपीएफ प्राधिकरण द्वारा खोले गए डीमैट खातों में स्थानांतरित किया जाएगा। ऐसा जारी होने पर, उनके नाम पर पंजीकृत मूल शेयर प्रमाणपत्र स्वतः रद्द हो जाएँगे और उन पर कोई समझौता नहीं किया जा सकेगा। डीमैट रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के मामले में, आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खातों में शेयरों का स्थानांतरण कंपनी द्वारा संबंधित डिपॉजिटरी के माध्यम से कॉर्पोरेट कार्रवाई के माध्यम से किया जाएगा।

संबंधित शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अक्टूबर 31, 2026 को या उससे पहले अवैतनिक/दावा न किए गए लाभांश राशि का दावा करें। यदि कंपनी को अक्टूबर 31, 2026 तक संबंधित शेयरधारक से कोई संचार प्राप्त नहीं होता है, तो कंपनी नियमों में निर्धारित आवश्यकताओं का अनुपालन करने के उद्देश्य से शेयरों को डीमैटरियलाइज़ करेगी और आईईपीएफ को हस्तांतरित करेगी। शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे ध्यान दें कि कंपनी की वेबसाइट पर अपलोड की गई शेयरधारकों की अद्यतन सूची को संशोधित नियमों के अनुसार आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खातों में शेयरों के हस्तांतरण के उद्देश्य से नए शेयर प्रमाणपत्र जारी करने के संबंध में पर्याप्त सूचना माना जाना चाहिए और माना जाएगा। कृपया ध्यान दें कि आईईपीएफ को हस्तांतरण पर, दावा न किए गए लाभांश राशि और हस्तांतरित इक्विटी शेयरों के संबंध में कंपनी पर कोई दावा नहीं होगा।

अवैतनिक/अदावाकृत लाभांश का दावा करने के लिए, शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट, मेसर्स केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नंबर 31-32, वित्तीय जिला, नानकरामगुडा, सेरिलिंगमपल्ली मंडल, हैदराबाद-500032, दूरभाष: 40 67162222, 79611000 या टोल फ्री नंबर: 18003094001 ईमेल आईडी: einward.ris@kfintech.com से संपर्क करें।

प्रताप स्नैक्स लिमिटेड के लिए
हस्ता./-
संजय चौरे
कंपनी सचिव

स्थान: इंदौर (म.प्र.)
दिनांक: जुलाई 29, 2026

सांकेतिक कब्जे की सूचना

ICICI Bank | **शाखा कार्यालय :** आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, ऑफिस नंबर 201बी, दूसरी मंजिल, रोड नंबर 1, प्लॉट नंबर-बी3, वाईफाई आईटी पार्क, वागले इंडस्ट्रियल एस्टेट, ठाणे (पश्चिम)- 400604

अधोहस्ताक्षरी ने आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कर्जदार और डीएचएफएल के बीच हुए ऋण अनुबंध के अनुसरण में मंजूर की गई आवास ऋण सुविधा के संबंध और प्रतिभूति के प्रवर्तन के संबंध में निम्न वर्णित कर्जदारों को (बुनियादी समूह दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड द्वारा आईसीआईसीआई बैंक को समनुदेशित किए जाने पर) माँग सूचनाएँ जारी की थीं, जिसमें उनसे सूचना में वर्णितानुसार बकाया राशि का भुगतान, उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर करने की माँग की गई थी।

कर्जदार उपरोक्त राशि चुकाने में असफल रहे हैं, एतद् द्वारा कर्जदार और जनसाधारण को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहाँ नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा निम्न वर्णित तिथि को प्राप्त कर लिया है। कर्जदार को विशेष रूप से तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा उक्त संपत्ति के संबंध में संव्यवहार नहीं करने हेतु सावधान किया जाता है तथा उक्त संपत्ति के संबंध में कोई भी संव्यवहार इसमें वर्णित राशि तथा उस पर आगे ब्याज हेतु आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के प्रभाराधीन होगा।

क्र. सं.	कर्जदार(रों)/सह-कर्जदार(रों) के नाम (डीएचएफएल पुराना ऋण खाता नंबर एवं आईसीआईसीआई नया ऋण खाता नंबर)	संपत्ति का विवरण/ सांकेतिक कब्जे की तिथि	माँग सूचना की तिथि/ माँग सूचना में राशि (रु.)	शाखा का नाम
1.	अगित कदम और राजेंद्र कदम उषा कदम- QZIND00005017554	प्लॉट नंबर 383 का उत्तरी भाग, सूर्यदेव नगर, सेक्टर बी, मध्य प्रदेश, इंदौर 452002/ जुलाई 24, 2026	मार्च 12, 2026 रु. 13,27,170.99/-	इंदौर

उपरोक्त दर्शाए गए कर्जदार/सह-कर्जदार एवं जमानतदारों को सूचित किया जाता है कि इस सूचना के प्रकाशन से 30 दिनों के अंदर राशि का भुगतान करें, अन्यथा 30 दिनों की समाप्ति के पश्चात् अधिग्रहित संपत्ति की नीलामी कर दी जाएगी जो पूर्णतः नियम 8 और 9 प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के अंतर्गत है।

दिनांक : जुलाई 29, 2026
स्थान : इंदौर

प्राधिकृत अधिकारी,
आईसीआईसीआई बैंक लि.

Piramal Finance
पीरामल फाइनेंस लिमिटेड
CIN : L65910MH1984PLC032639
पंजीकृत कार्यालय: यूनिट नंबर 601, 6ठी मंजिल, पीरामल एमिटी बिल्डिंग, पीरामल अगस्त्या कॉर्पोरेट पार्क, कमानी जंक्शन, फायर स्टेशन के सामने, एलबीएस मार्ग, कुर्ला (पश्चिम), मुंबई - 400070, (टी) +91 22 3802 4000.
शाखा कार्यालय: 503-505 मंजिल, ऐरेन हाइट्स स्कीम नंबर 54, पीयू-3, विजय नगर, इंदौर-452010
संपर्क व्यक्ति: 1. पीरामल फाइनेंस लिमिटेड - 022-69482444

ई-नीलामी बिक्री सूचना-आगामी बिक्री

पीरामल फाइनेंस लिमिटेड (पहले पीरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड) के अधिकृत अधिकारी ने 'सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002' के तहत उधारकर्ता से बकाया राशि की वसूली के लिए नीचे बताई गई सुरक्षित संपत्ति का कब्जा ले लिया है। अब नीचे बताई गई अचल संपत्ति को खरीदने के लिए नीचे हस्ताक्षर करने वाले की ओर से ऑफर आमंत्रित किए जाते हैं। यह संपत्ति 'जैसी है, जहाँ है', 'जैसी है, वैसी है' और 'जो कुछ भी है, वैसा ही है' के आधार पर बेची जा रही है। इसकी जानकारी नीचे दी गई है:

ऋण कोड/शाखा/ ऋणी(यों)/ सह ऋणी (यों)/ जमानतदार(यों)	मांग सूचना दिनांक एवं राशि	अंतिम संपत्ति का पता	आरक्षित मूल्य	बयाना जमा राशि (ईएमडी) (आरपी का 10%)	कुल बकाया राशि (24-07-2026)
ऋण कोड क्रमांक: 13400002351, भोपाल (शाखा), वीरेंद्र गिरि (उधारकर्ता) वंदना ठाकुर (सह-उधारकर्ता 1)	तारीख: 04-11-2022, ₹11,01,412/- (ग्यारह लाख एक हजार चार सौ बारह रुपये मात्र)	इस प्रॉपर्टी का पूरा हिस्सा और विवरण इस प्रकार है:- फ्लैट नंबर 102, ग्राउंड फ्लोर, ब्लॉक बादल, मदर टेरेसा स्कूल के पास, विनय नगर, भोपाल, मध्य प्रदेश - 462042 सीमाएं इस प्रकार हैं - उत्तर:- खुला, दक्षिण:- फ्लैट नंबर 103, [illegible]	रुपये 6,88,500/- (छह लाख अट्ठासी हजार पांच सौ रुपये मात्र)	₹68,850/- (अड़सठ हजार आठ सौ पचास रुपये मात्र)	₹19,08,009/-, (उन्नीस लाख आठ हजार नौ रुपये मात्र)
ऋण कोड संख्या: 20900042357 एवं 20900042396, इंदौर - विजय नगर (शाखा), राजूलाल गुर्जर (उधारकर्ता), मोहन लाल गुर्जर (सह-उधारकर्ता 1)	तारीख: 12-05-2021, ₹10,75,049/- (दस लाख पचहत्तर हजार उनचास रुपये) और तारीख: 29-05-2021, ₹2,26,020/- (दो लाख छब्बीस हजार बीस रुपये मात्र)	इस प्रॉपर्टी का पूरा हिस्सा और विवरण इस प्रकार है:- फ्लैट नंबर 423-424, प्लॉट नंबर 04, [illegible] अपार्टमेंट, श्री राम कमल रेजीडेंसी, ग्राम-नैनोद, इंदौर, मध्य प्रदेश - 452003 सीमाएं इस प्रकार हैं:- उत्तर:- फ्लैट नंबर 425; पश्चिम:- खुला रास्ता; पूर्व- खुला डक्ट; दक्षिण:- फ्लैट नंबर 423	रुपये 8,91,000/- (आठ लाख इक्यानवे हजार रुपये मात्र)	₹89,100/- (नवासी हजार एक सौ रुपये मात्र)	₹21,51,615/-, (इक्कीस लाख इक्यावन हजार छह सौ पंद्रह रुपये मात्र) और ₹4,99,965/-, (चार लाख निन्यानवे हजार नौ सौ पैंसठ रुपये मात्र)
ऋण कोड संख्या: 20900042120 एवं 20900042118, इंदौर - विजय नगर (शाखा), [illegible] कुमार राजेंद्र (उधारकर्ता), पूर्णिमा राजेंद्र (सह-उधारकर्ता 1) सुशीला राजेंद्र (गारंटर 1)	तारीख: 28-07-2022, ₹24,69,613/- (चौबीस लाख उनहत्तर हजार छह सौ तेरह रुपये मात्र) और तारीख: 08-11-2022, ₹27,00,103/- (सत्ताईस लाख एक सौ तीन रुपये मात्र)	इस प्रॉपर्टी का पूरा हिस्सा और विवरण इस प्रकार है:- फ्लैट नंबर 402, प्लॉट नंबर 57 का पूरा हिस्सा, [illegible] अपार्टमेंट, गोकुलधाम कॉलोनी, अन्नपूर्णा के पास, इंदौर, मध्य प्रदेश - 452008। सीमाएं इस प्रकार हैं:- उत्तर:- खुला रास्ता और सड़क; पश्चिम: फ्लैट नंबर 401; पूर्व: प्लॉट नंबर 2 5; दक्षिण: प्लॉट नंबर 16 20	रुपये 40,74,300/ (चालीस लाख चौहत्तर हजार तीन सौ रुपये मात्र)	₹4,07,430/- (चार लाख सात हजार चार सौ तीस रुपये मात्र)	₹42,56,157/-, (बयालीस लाख छप्पन हजार एक सौ सत्तावन रुपये मात्र) और ₹45,39,664/-, (पैंतालीस लाख उनतालीस हजार छह सौ चौंसठ रुपये मात्र)

ई-नीलामी की तिथि: 13.08.2026, सुबह 11.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक (प्रत्येक 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ)।
बोली जमा करने की अंतिम तिथि 12.08.2026 शाम 4.00 बजे से पहले।
बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया www.piramalfinance.com/e-Auction.html में दिए गए लिंक को देखें या हमें piramal.auction@piramal.com पर ईमेल करें।

सरफेसी अधिनियम के तहत उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता को 15 दिनों का वैधानिक विक्रय नोटिस

ऊपर बताए गए उधारकर्ता/गारंटर को सूचित किया जाता है कि वे सेक्शन 13(2) के नोटिस में बताई गई रकम, आज तक के ब्याज के साथ, नीलामी की तारीख से पहले पूरी तरह चुका दें। ऐसा न करने पर प्रॉपर्टी की नीलामी/बिक्री कर दी जाएगी और अगर कोई बकाया रकम बचती है, तो उसे उधारकर्ता/गारंटर से ब्याज और खर्च सहित वसूल किया जाएगा।
उधारकर्ता का ध्यान एक्ट के सेक्शन 13 के सब-सेक्शन 8 की ओर दिलाया जाता है, जिसमें सुरक्षित एसेट को छुड़ाने (रिडीम करने) के लिए उपलब्ध समय के बारे में बताया गया है। उधारकर्ता और आम जनता कृपया ध्यान दें कि अगर किसी भी कारण से यहां तय की गई नीलामी सफल नहीं होती है, तो सुरक्षित लेनदार प्राइवेट ट्रीटी के जरिए अपनी सिक्योरिटी को लागू कर सकता है।

दिनांक: 29-07-2026
स्थान: भोपाल, इन्दौर

हस्ते/-(प्राधिकृत अधिकारी)
पीरामल फाइनेंस लिमिटेड